

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11/04/2022

क्रमांक/824/वित्त/2022/संसा./ब-4: राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य में कर एवं करेत्तर राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में प्रचलित कराधान नियम/अधिनियम, प्रचलित कर दरों तथा अन्य राज्यों की सुसंगत नीतियों का अध्ययन एवं समीक्षा करके राजस्व वृद्धि के सुझाव प्रस्तुत करने हेतु वित्त विभाग के अंतर्गत राजस्व आवर्धन प्रकोष्ठ (Revenue Augmentation cell) का गठन करता है।

2/ उक्त प्रकोष्ठ में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित होंगे:-

1. श्रीमती शारदा वर्मा, विशेष सचिव एवं संचालक बजट,
2. श्री ऋषभ पाराशर, उप सचिव,
3. श्री शरद परसाई, अवर सचिव,



(शरद परसाई)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

पृ.क्र./824A/वित्त/2022/संसा./ब-4
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 11/04/2022

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, अटल नगर
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, अटल नगर
5. सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय
6. विशेष सचिव/संचालक बजट, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
7. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
8. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर
9. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय
10. संबंधित अधिकारी..... को सूचनार्थ।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन